

पाठ्यक्रम

डी. एल.एड. प्रथम वर्ष बचपन एवं बाल विकास

प्रथम प्रश्न-पत्र

विशिष्ट उद्देश्य—इस पाठ्यक्रम के पश्चात् छात्राध्यापकों में निम्नलिखित क्षमताएँ/ दक्षताएँ विकसित हो सकेंगी—(1) बचपन की विभिन्न आवश्यकताओं, रुचियों एवं विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर प्रभावी शिक्षा देने में सक्षम बनाना। (2) विकास के विभिन्न पक्ष एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्राप्त करना। (3) बालकों के समाजीकरण में परिवार, समाज, विद्यालय के योगदान की समझ विकसित करना। (4) बालकों के विकास के शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं को समझना। (5) बालकों के व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं का निदान एवं उपचार कर सकने की क्षमता विकसित करना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन			
इकाई क्रं.	इकाई का नाम	अंक	कालखण्ड
(1)	बचपन	10	25
(2)	बाल विकास के विभिन्न पक्ष	15	30
(3)	शारीरिक एवं गामक विकास	10	20
(4)	सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास	20	30
(5)	समाजीकरण	15	35
	सत्रगत कार्य खण्ड अ + ब	30	—
कुल योग		100	140

विषयवस्तु

इकाई 1 : बचपन—(1) बचपन एक आनन्ददायी अवस्था के रूप में, विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में बचपन, वयस्क, संस्कृति, भारतीय सन्दर्भ में बहु-बचपन। (2) रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी, रूसो तथा फ्रॉबेल के बचपन पर विचार। (3) वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का बचपन पर प्रभाव। (4) भारतीय सन्दर्भ में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बचपन का स्वरूप (समझ)। (5) एकल एवं संयुक्त परिवार में बचपन।

इकाई 2 : बाल विकास के विभिन्न पक्ष—(1) वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, विकास की विभिन्न अवस्थाएँ एवं विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। (2) मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के मत (मैसलो के विशेष सन्दर्भ में) एवं विकासात्मक सिद्धान्त। (3) सतत् एवं जीवन पर्यन्त समग्र विकास। (4) विकास के अध्ययन में Enduring themes एवं बहुआयामी विकास। (5) बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव एवं अन्तः क्रिया। (6) बच्चों से सम्बन्धित आँकड़ों के संकलन की विभिन्न विधियाँ—स्वाभाविक अवलोकन, वृत्तिक अध्ययन, साक्षात्कार, विश्लेषणात्मक/चिन्तनात्मक प्रतिक्रिया लेखन, एनेक्डोटल। (7) समावेशन : अवधारणा एवं संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

इकाई 3 : शारीरिक एवं गामक विकास—(1) वृद्धि एवं परिपक्वता। (2) शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में गामक कौशलों का विकास। (3) शारीरिक गामक विकास के स्तर एवं विकास के लिये अवसर प्रदान करने में शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका। (4) शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक। (5) पोषण एवं कुपोषण : शारीरिक विकास में विभिन्न पोषक तत्वों की उपयोगिता एवं कार्य।

इकाई 4 : सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास—(1) विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक। (2) शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। (3) समाजीकरण में लिंगभेद का प्रभाव एवं सामाजिक सिद्धान्त। (4) जेण्डर (लिंग) अर्थ, विकास, प्रभावी कारक। (5) संवेगों की बुनियादी समझ, संवेगों के प्रकार्य।

इकाई 5 : बच्चों का समाजीकरण—(1) समाजीकरण की अवधारणा। (2) परिवार में बच्चों का लालन-पालन एवं बच्चों-बड़ों के आपसी सम्बन्ध। (3) झूलाघर, अनाथालय, बालबाड़ी, आँगनबाड़ी, आवासीय विद्यालय का बच्चों के समग्र विकास

में योगदान। (4) मित्र मण्डली, विद्यालय संस्कृति, शिक्षकों के साथ सम्बन्ध, शिक्षक की अपेक्षाओं का बालक की उपलब्धि पर प्रभाव। (5) विपरीत लिंग से मित्रता का बच्चों पर प्रभाव, प्रतियोगिता एवं सहयोग, स्वस्थ स्पर्धा एवं द्वन्द्व आक्रामकता, बाल प्रताड़ना, पारिवारिक मनमुटाव आदि का प्रभाव। (6) समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, समावेशन में अनुप्रयोग (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विशेष सन्दर्भ में)। (7) समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका।

सत्रगत कार्य—(1) किसी एक समस्यात्मक बालक की केस स्टडी कर रिपोर्ट तैयार करना (जिद्दी, स्कूल से भागने वाले, झगड़ालू बच्चे, अनियमित उपस्थिति वाले, गृह कार्य न करने वाले बच्चे)। (2) बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित चार्ट बनाना। (3) किसी एक विशेष आवश्यकता वाले बालक की केस स्टडी कर रिपोर्ट बनाना (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थिबाधित, मनोरोगी बालक)। (4) जिले की किसी एक झुग्गी बस्ती/वंचित समूह की साक्षरता रिपोर्ट बनाना। (5) स्थानीय स्तर पर अनाथालय, झूलाघर, बालवाड़ी, आँगनवाड़ी झुग्गी झोंपड़ी में से किसी एक का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। (6) शारीरिक विकास में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं उनका निवारण लिखिये। (7) समाजमिति विधि द्वारा किन्हीं दस बच्चों पर मित्रता के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करना। (8) किन्हीं दो एकांगी एवं किन्हीं दो संयुक्त परिवारों की पृष्ठभूमि में बालक के समाजीकरण के प्रभाव का आलेख तैयार करना।

पाठ्यक्रम अन्तरण की विधियाँ—(1) अवधारणा की समझ के लिये कक्षागत चर्चाएँ करायी जायेंगी। (2) शोधपत्र/पाठ्यवस्तु का समीक्षात्मक रूप से अध्ययन कराया जायेगा। (3) मुद्दों एवं सन्दर्भों को सत्रगत कार्य के समय व्यक्तिगत या समूहों में करवाया जायेगा। (4) सैद्धान्तिक और प्रायोगिक गतिविधियाँ/अभ्यास/खोज/विश्लेषण/अवलोकन करना तत्पश्चात् संयुक्त रूप से अर्थ निकालना और आँकड़ों को व्यवस्थित करना।

समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा

द्वितीय प्रश्न-पत्र

विशिष्ट उद्देश्य—(1) भारतीय संविधान में निहित अवधारणाओं, प्रक्रियाओं एवं आदर्शों का व्यवहारगत स्थितियों (वर्तमान परिप्रेक्ष्य) में आलोचनात्मक विश्लेषण कर अध्ययन करना। (2) भारतीय समाज की विभिन्नताओं, विविधताओं को समझना तथा उनके महत्त्व को समझते हुए उसे शिक्षण संसाधन के रूप में देखना। (3) विकासशील भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक धारणाएँ, मुद्दे एवं चुनौतियों को समझकर अपने लिये कुछ शैक्षणिक उद्देश्यों को निर्धारित करना। (4) सामाजिक परिवर्तन एवं स्तरीकरण से सम्बन्धित विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं (जैसे विषमता, बहिष्कार, भेदभाव, आरक्षण आदि) को समझना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन			
इकाई क्रं.	इकाई का नाम	अंक	कालखण्ड
(1)	प्रारम्भिक शिक्षा और भारतीय संविधान	30	15
(2)	भारतीय लोकतन्त्र में शिक्षा	30	15
(3)	भारतीय अर्थव्यवस्था	30	15
(4)	शैक्षिक विकास एवं चुनौतियाँ	30	15
(5)	सामाजिक परिवर्तन एवं स्तरीकरण	20	10
	सत्रगत कार्य खण्ड अ + ब	—	30
कुल योग		140	100

विषयवस्तु

इकाई 1 : प्रारम्भिक शिक्षा और भारतीय संविधान—(1) भारत में स्वतन्त्रता पूर्व एवं पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा। (2) भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्त्व एवं प्रारम्भिक शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। (3) भारतीय समाज में विविधता—रंग रूप, संस्कृति, भाषा, जाति, जेण्डर एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये शिक्षा की नीतियाँ एवं संवैधानिक प्रावधान। (4) भारतीय संविधान में समता एवं न्याय—विभिन्न शालेय, तन्त्र निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मध्य प्रदेश नियम 2011.

इकाई 2 : भारतीय लोकतन्त्र में शिक्षा—(1) लोकतन्त्र के लिये शिक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।

4 | मध्य प्रदेश डी. एल. एड. पाठ्यक्रम 2014 : प्रथम वर्ष

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु अनुशंसाएँ उनका क्रियान्वयन एवं प्रभाव—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 (National Policy Statement of Education 1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 (Programme of Action, POA 1992), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, शिक्षा में विकेन्द्रीकरण-73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, जन शिक्षा अधिनियम 2002, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम-स्वराज अधिनियम 2001 के प्रमुख प्रावधान। (3) केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय शैक्षिक संरचना—उद्देश्य, कार्य प्रणाली एवं उपयोगिता।

इकाई 3 : भारतीय अर्थ व्यवस्था और शिक्षा—(1) सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वातावरण एवं शैक्षिक विकास की धारणाएँ और प्रभाव। (2) भूमण्डलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण का शिक्षा पर प्रभाव—व्यवस्थाएँ, मुद्दे एवं चुनौतियाँ। (3) कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था एवं शिक्षा—(निरक्षरता, बाल मजदूरी, कृषि मजदूर, भूमिहीन कृषक, भू-स्वामी कृषक, कृषि आधारित उत्पाद, बाजार एवं ऋण व्यवस्था।) (4) आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका।

इकाई 4 : शैक्षिक विकास एवं चुनौतियाँ—(1) प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता की चुनौतियाँ : नामांकन, ठहराव और शैक्षिक उपलब्धि। (2) शालाओं में शिक्षण की चुनौतियाँ : बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय (MGML) शिक्षण। (3) मध्य प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (OBB), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), सर्व शिक्षा अभियान (SSA), प्रारम्भिक स्तर की बालिकाओं के लिये शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEI), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV), गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL), सक्रिय अधिगम प्रविधि (ALM)—अवधारणा, उद्देश्य, विशेषताएँ एवं कार्यक्रम। (4) सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की आवश्यकता, अवधारणा, विशेषताएँ एवं क्रियान्वयन। (5) राष्ट्रीय एकता का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक एवं शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। (6) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु यूनिसेफ (UNICEF), यूनेस्को (UNESCO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका।

इकाई 5 : सामाजिक परिवर्तन एवं स्तरीकरण—(1) सामाजिक परिवर्तन—अर्थ, प्रकार एवं विशेषताएँ। (2) सामाजिक स्तरीकरण—अर्थ और आधार। (3) सामाजिक स्तरीकरण सम्बन्धी अवधारणाएँ—बहिष्कार, विषमताएँ, भेदभाव, शोषण और आरक्षण आदि।

सत्रगत कार्य—समसामयिक समाज में शैक्षिक चुनौतियों के सन्दर्भ में नियत कार्य एवं प्रयोजना कार्य—कुल तीन कार्य किये जाने हैं। प्रत्येक खण्ड में से एक कार्य अनिवार्य है।

खण्ड अ : नियत कार्य—(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु की अनुशंसाओं की सूची बनाइये। (2) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पूर्व और पश्चात् हुए शालेय तन्त्र में बदलाव का तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन कीजिये। (3) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की सूची बनाइये। किसी एक योजना के मूलभूत लक्ष्य, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया लिखिये। (4) बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह हेतु शिक्षा के प्रावधानों एवं शैक्षिक विकास पर इनके प्रभाव लिखिये। (5) शिक्षा का अधिकार लागू होने के पश्चात् आपके क्षेत्र में हुए सामाजिक बदलाव पर आलेख तैयार कीजिये। (6) अपने जिले की विभागीय संरचना को स्पष्ट करते हुए फ्लोचार्ट बनाइये। (7) आर्थिक विकास में प्रारम्भिक शिक्षा की भूमिका की तर्कयुक्त विवेचना कीजिये। (8) अपनी शाला में संवैधानिक प्रावधान (RTE 2009) की धारा 19 के तहत मानक एवं मापदण्डों के अनुरूप शालेय संसाधनों की समीक्षा कीजिये। (9) अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों/सुविधावंचित बच्चों हेतु संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की सूची बनाते हुए किसी एक संस्था के कार्य, प्रक्रिया एवं उपलब्धि पर आलेख तैयार कीजिये। (10) अपने ग्राम के VER में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, प्रवेश एवं उन्हें प्राप्त सुविधाओं की स्थिति पर आलेख तैयार कीजिये। (11) किन्हीं 5 प्राथमिक शालाओं में राष्ट्रीय एकता विकास के लिये बच्चों हेतु विभिन्न गतिविधियों की सूची बनाइये एवं किसी एक गतिविधि के आयोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया लिखिये। (12) ABL अथवा ALM शिक्षण पद्धतियों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की सूची बनाइये एवं इनके निराकरण के सुझाव लिखिये। (13) शाला में उपलब्ध बाल पुस्तकालय/विज्ञान/गणित किट आदि के माध्यम से बच्चों के बेहतर सीखने-सिखाने की योजना तैयार कीजिये। (14) अपनी शाला हेतु किसी एक विषय में बहुकक्षा शिक्षण/ बहुस्तरीय शिक्षण हेतु कार्य योजना बनाइये।

खण्ड ब : प्रोजेक्ट कार्य—(1) अपने ग्राम/वार्ड के 20 परिवारों का सर्वेक्षण कर ग्राम शिक्षा पंजी तैयार कीजिये। (2) अपने ग्राम/वार्ड के 6 से 14 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों की जनसंख्या, वर्ग एवं शिक्षा की जानकारी एकत्र कीजिये। (3) अपने ग्राम/वार्ड के सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े 10 परिवारों के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों की सूची बनाइये एवं इनकी शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिये कार्य योजना तैयार कीजिये। (4) आपके

क्षेत्र/जिले में विशेष समूह के बच्चों के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं में से किसी एक योजना के प्रभाव का अध्ययन कीजिये (किन्हीं 5 बच्चों/पालकों के साक्षात्कार के माध्यम से)। (5) ABL पर आधारित दो शिक्षण सहायक सामग्री (TLM) का निर्माण कीजिये। (6) ALM पर आधारित दो शिक्षण सहायक सामग्री (TLM) का निर्माण कीजिये। (7) विद्यालय के बच्चों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिये विभिन्न गतिविधियों की सूची बनाइये एवं इसका त्रैमासिक केलेण्डर तैयार कीजिये। (8) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सन्दर्भ में कमजोर एवं वंचित समूह बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया का किन्हीं दो विद्यालयों में जाकर अध्ययन कीजिये। (किन्हीं 5-5 बच्चे एवं उनके पालक के साक्षात्कार के माध्यम से)। (9) आपके क्षेत्र के प्रथम पीढ़ी के शिक्षा प्राप्त करने वाले परिवार एवं शिक्षित परिवारों में सामाजिक अन्धविश्वास/ कुरीतियों की स्थितियों की तुलना कीजिये। (किन्हीं 5 परिवारों के सन्दर्भ में)। (10) अपने क्षेत्र के पलायन करने वाले परिवारों के शाला जाने योग्य बच्चों की जानकारी एकत्रित कीजिये एवं उनके शैक्षिक विकास हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी एकत्र कीजिये।

पाठ्यक्रम अन्तरण की विधियाँ—(1) छात्राध्यापकों को चर्चाओं, डाक्यूमेण्टरी फिल्म तथा क्षेत्र आधारित प्रायोजनाओं से जोड़ा जायेगा। (2) विभिन्न प्रकार के लेख, नीतिगत अभिलेख पाठ्यवस्तु डाक्यूमेण्टरी, फिल्म का गहनता एवं समीक्षात्मक रूप से अध्ययन करवाया जायेगा। (3) छात्राध्यापकों के समूह में क्षेत्र आधारित प्रायोजनाओं को करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष तक पहुँचना। (4) अपने क्षेत्र की पलायन करने वाली (Mig-rated) जातियों की जानकारी (क्षेत्र, वर्ग एवं शैक्षिक स्थिति के आधार पर) एकत्रित कर उनके बच्चों की शैक्षिक स्थितियों को जानना।

शिक्षा, समाज, पाठ्यचर्या और शिक्षार्थी

तृतीय प्रश्न-पत्र

विशिष्ट उद्देश्य—(1) शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में समझ विकसित करना। (2) शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक पहलुओं की समझ विकसित करना। (3) ज्ञान, अधिगम, शिक्षा और शिक्षकों के बारे में अपनी मान्यताओं की पहचानना एवं आलोचनात्मक चिन्तन करना। (4) छात्राध्यापकों को विभिन्न शैक्षिक विचारों, परिप्रेक्ष्यों एवं कार्यान्वयन के तरीकों से अवगत कराना। (5) छात्राध्यापकों को अपने शैक्षिक विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने में समर्थ बनाना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन			
इकाई क्रं.	इकाई का नाम	अंक	कालखण्ड
(1)	शिक्षा की दार्शनिक समझ	15	30
(2)	शिक्षा, समाज और नीतियाँ	15	30
(3)	शिक्षा का लोकव्यापीकरण	15	20
(4)	अधिगम, अधिगमकर्ता एवं शिक्षण	15	30
(5)	ज्ञान और पाठ्यचर्या	10	30
	सत्रगत कार्य	30	—
कुल अंक		100	140

विषयवस्तु

इकाई 1 : शिक्षा की दार्शनिक समझ—(1) मानव समाजों में शिक्षा की प्रकृति एवं आवश्यकताओं का अध्ययन। (2) विद्यालयीन शिक्षा एवं शिक्षा में सम्बन्ध तथा मानव समाजों की विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं की खोज करना। (3) शिक्षा एवं विद्यालयीन शिक्षा विषयक विभिन्न पाश्चात्य, भारतीय विचारकों एवं शिक्षाशास्त्रियों के दृष्टिकोण का अध्ययन— रूसो, मॉण्टेसरी, जॉन ड्यूवी, गाँधी, टैगोर, गिजुभाई एवं विवेकानन्द। (4) मानव प्रकृति, समाज, अधिगम एवं शिक्षा के उद्देश्य विषय बुनियादी मान्यताओं को समझना।

इकाई 2 : शिक्षा, समाज और नीतियाँ—(1) स्वतन्त्रता पूर्व भारत में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ। (2) भारत की समसामयिक शिक्षा की स्थिति-स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा में आये बदलाव। (3) धर्म, जाति, वर्ग और लिंग आधारित चुनौतियों के समाधान में शिक्षा की भूमिका। (4) शिक्षा का राजनैतिक स्वरूप-प्रजातान्त्रिक, समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष। (5) शिक्षक और समाज-शिक्षक की समाज में स्थिति एवं शिक्षक की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन।

इकाई 3 : शिक्षा का लोकव्यापीकरण—(1) प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की अवधारणा। (2) सबके लिये शिक्षा—उद्देश्य, नीतियाँ, क्रियान्वयन एवं समस्याएँ। (3) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), सर्व शिक्षा अभियान (SSA)—नीतियाँ, क्रियान्वयन एवं प्रभाव। (4) समान स्कूल प्रणाली (Common schooling system), पड़ोसी स्कूल।

इकाई 4 : अधिगम, अधिगमकर्ता एवं शिक्षण—(1) अधिगम—अवधारणा एवं प्रकृति। (2) अधिगम, ज्ञान एवं कौशल—सीखने एवं सिखाने के विभिन्न तरीके। (3) शिक्षण का अर्थ, सीखने की प्रक्रिया एवं शिक्षार्थी से इसका सम्बन्ध। (4) समाजीकरण और अधिगम—शिक्षार्थी की पहचान को निर्धारित करने वाले प्रभावों एवं कारणों की समझ। (5) शिक्षार्थी का सन्दर्भ—विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में स्थित शिक्षार्थी। (6) बचपन की अवधारणा—बचपन की सार्वभौमिक अवधारणा एवं समालोचनात्मक परीक्षण।

इकाई 5 : ज्ञान और पाठ्यचर्या—(1) बालक के ज्ञान का सृजन—गतिविधि एवं अनुभव के माध्यम से ज्ञानार्जन। (2) ज्ञान का स्वरूप और बालक द्वारा ज्ञान का सृजन। (3) ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के प्रकार और उनकी वैधता। (4) ज्ञान और शक्ति सम्बन्ध—पाठ्यचर्या एवं पाठ्य-पुस्तकों में विभिन्न सामाजिक समूहों के ज्ञान को समावेशित कर प्रतिनिधित्व प्रदान करना। (5) पाठ्यचर्या चयन एवं निर्माण हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रियाएँ।

सत्रगत कार्य—छात्राध्यापकों को शिक्षा सत्र में सत्रगत कार्य के अन्तर्गत एक प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्यतः करना होगा। यह प्रोजेक्ट छात्राध्यापकों के अवलोकन, कक्षागत विचार-विमर्श, सहभागिता एवं क्षेत्र परीक्षण को प्रदर्शित करने वाला होगा।

सुझावात्मक क्षेत्र—(1) किसी एक भारतीय शिक्षाशास्त्री एवं एक पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिये। (2) स्वतन्त्रता पूर्व भारत में शालेय शिक्षा की स्थिति की विवेचना कीजिये। (3) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में शिक्षा क्षेत्र में आये बदलावों का विवरण दीजिये। (4) अपने जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित किन्हीं दो कार्यक्रमों के प्रभावों पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिये। (5) किसी एक बसाहट का सर्वेक्षण कर विभिन्न सामाजिक समूहों की साक्षरता एवं शिक्षा की स्थिति एवं वर्तमान चुनौतियों का आलेख तैयार कीजिये।

पाठ्यक्रम अन्तरण की विधियाँ—(1) छात्रों को बातचीत और चर्चाओं में अधिक से अधिक सम्मिलित किया जायेगा, जिससे कि परम्परागत व्याख्यान विधि को कम से कम किया जा सके। (2) अध्यापन के दौरान छात्राध्यापकों को सेमिनार, चर्चा, फिल्म एप्रेजल, समूह कार्य, क्षेत्र कार्य, प्रायोजना (Project), विभिन्न प्रकार के लेखों का अध्ययन और नीतिगत दस्तावेजों का अध्ययन कराया जायेगा। (3) सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। (4) अध्यापन के दौरान सभी इकाइयों का अन्तःसम्बन्ध उभारा जायेगा।

स्वयं की पहचान

चतुर्थ प्रश्न-पत्र

विशिष्ट उद्देश्य—(1) छात्राध्यापकों में आत्म अवलोकन की क्षमता का विकास करना। (2) स्वयं की क्षमताओं को जानना एवं स्व-प्रेरित शिक्षार्थी की दृष्टिकोण विकसित करना। (3) समग्र रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। (4) स्वयं की छवि को एक व्यक्ति एवं पेशेवर शिक्षक के रूप में विकसित करना। (5) स्वयं की शिक्षण प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने की क्षमता विकसित करना। (6) सुविधादाता के रूप में स्वयं का विकास करना।

इकाईवार अंक विभाजन

इकाई क्रं.	इकाई का नाम	कालखण्ड	अंक
(1) (I)	स्वयं की क्षमता की खोज	20	10
(2) (II)	जीवन के उद्देश्यों की खोज	20	10
(3) (III)	सुविधादाता के रूप में स्वयं का विकास	30	15
	सत्रगत कार्य	—	15
कुल अंक		70	50

विषयवस्तु

इकाई 1 : स्वयं की क्षमता की खोज—(1) आत्मावलोकन अभ्यास द्वारा स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों/सीमाओं को समझना। (2) स्वयं के द्वारा किये गये कार्यों की जिम्मेदारी लेना। (3) आत्म-सम्मान बोध तथा भावनात्मक एवं संवेगात्मक एकीकरण द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। (4) स्वयं के विकास हेतु स्वतन्त्रता और अनुशासन

प्रतियोगिता—सहयोग, भय को जानना और समझना। (5) समालोचनात्मक चिन्तन हेतु कौशलों का विकास। (6) आत्मिक शान्ति, एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास। (7) अन्तर्द्वन्द्वों का समाधान। (8) आत्म समीक्षात्मक दैनन्दिनी लेखन।

इकाई 2 : जीवन के उद्देश्यों की खोज—(1) व्यक्ति की शिक्षक के रूप में दूरदृष्टि। (2) जीवन की आकांक्षाएँ एवं उद्देश्य। (3) जीवन को विवेकपूर्ण दिशा प्रदान करना, जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना। (4) समाज एवं विश्व को समझने में स्वयं के विचार, संवेगों पर मनन/अन्तर्चिन्तन करना। (5) पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणा—(लिंग, जाति, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, शारीरिक अशक्तता आदि) की समालोचना करना और स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूकता। (6) शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक शोषण के विरुद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार कर उनको रोकने हेतु अपनी क्षमताओं को विकसित करना। (7) व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम तथा उन तरीकों को जानना जो स्वयं की पहचान, मूल्य एवं जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं।

इकाई 3 : सुविधादाता के रूप में स्वयं का विकास आत्म समीक्षात्मक चिन्तन का विकास—(1) शिक्षण करते समय स्वयं की अभिवृत्तियों और सम्प्रेषण के तरीके के प्रति सचेत रहना। (2) विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार कर उनसे सम्बन्ध स्थापित करना। (3) अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल और व्यक्तिगत विकास के व्यावहारिक तरीकों को जानना एवं समझना (Explore करना)।

पाठ्यक्रम अन्तरण की विधियाँ—इस विषय की कार्यशाला के लिये कोई निर्धारित मानक सामग्री नहीं है। ऐसी अपेक्षा है कि इस क्षेत्र के व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता से छात्राध्यापकों के लिये विशेष प्रकार की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करवायी जाये। इसमें छात्र समसामयिक विषयों को लेकर समूह में या व्यक्तिगत रूप से सुविधादाता के साथ चर्चा करके अपनी समझ बनायेंगे। इस विषय के माध्यम से छात्राध्यापकों को यह सुअवसर दिया जायेगा कि वे बाह्य जगत् को समझ सकें और अपनी संवेदनाओं के आधार पर उससे जुड़ सकें। यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षार्थियों को स्वयं के जीवन और उनसे जुड़े मुद्दों के भीतर झाँकने और व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा। छात्राध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे नवीन एवं समसामयिक मुद्दों पर नवीनता एवं गम्भीरता से विचार कर सकें और अपनी कल्पनाओं, सृजनात्मकता के द्वारा स्वयं के लिये उसका उपयोग कर सकें। स्रोत सामग्री के रूप में दैनिक समाचार-पत्र, वेबसाइट पर प्रस्तुत आलेख, समसामयिक सन्दर्भों पर आधारित फिल्में, डाक्यूमेण्टरी और अन्य कई दृश्य-श्रव्य सामग्री हो सकती हैं। टी.वी. चैनलों पर आने वाली चर्चाएँ, वार्ताएँ भी उपयोग में लायी जा सकती हैं।

सत्रगत कार्य—इकाइयों में दिये गये सभी बिन्दुओं पर कार्यशाला, समूह चर्चा, रोल प्ले, केस स्टडी, वाद-विवाद, प्रस्तुतीकरण आदि गतिविधियाँ करवायी जा सकती हैं।

(1) बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता को स्वयं के बचपन के अनुभव के आधार पर स्पष्ट करना-अनुभव लेखन। (2) स्वयं की मजबूतियों (Strengths), कमजोरियों (Weaknesses), उपलब्ध अवसरों (Opportunities) एवं मुश्किलों/जोखिमों (Threats) आदि का विश्लेषण करना तथा कमजोरियों को दूर करने की योजना बनाना। (SWOT analysis) (3) समूह चर्चा द्वारा-दृष्टिकोणों की विविधता (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में) को समझना और उनका सम्मान करना-चर्चा और परिणामों पर प्रतिवेदन करना। (4) असेसमेण्ट ऑफ सेल्फ कानसेप्ट।

भाषायी समझ, प्रारम्भिक साक्षरता एवं हिन्दी शिक्षण

पंचम् प्रश्न-पत्र

विशिष्ट उद्देश्य—छात्राध्यापक यह समझ सकेंगे कि—(1) भाषा की प्रकृति क्या है एवं भाषा का क्या महत्त्व है। (2) भाषा एवं समाज के अन्तर्सम्बन्ध को समझते हुए बहुभाषिकता को बढ़ावा दे सकेंगे। (3) भाषा के मूलभूत कौशल क्या हैं। (4) भाषायी दक्षता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। (5) भाषा का प्रयोग बच्चे अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में एक उपकरण के रूप में कैसे करते हैं। (6) प्रारम्भिक साक्षरता की दक्षताओं का शाला की पाठ्यचर्या पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। (7) बच्चों में सरल एवं सशक्त एवं प्रभावी सम्प्रेषण कला का विकास कर सकेंगे। (8) पठन क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दे सकेंगे। (9) मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका समझ सकेंगे। (10) मूल्यांकन की समझ विकसित कर उसे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बना सकेंगे। (11) शब्द भण्डार में वृद्धि कर सकेंगे। (12) विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रति रुचि जागृत कर साहित्य में रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकेंगे। (13) भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उचित उपयोग करते हुए भाषायी कौशलों के विकास हेतु बालकेन्द्रित गतिविधिपरक एवं उपयोगी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग कर सकेंगे।

अंक विभाजन			
इकाई क्रं.	इकाई का नाम	कालखण्ड	अंक
(1)	भाषा की परिभाषा एवं प्रकृति	22	12
(2)	भाषा का अर्जन एवं भाषायी कौशलों का विकास	43	18
(3)	पाठ्यचर्या एवं भाषा, कक्षा शिक्षण और सम्भावनाएँ	30	15
(4)	व्याकरण अध्ययन	23	15
(5)	भाषा, मूल्यांकन एवं नवाचार दो चरणों में सत्रगत कार्य	खण्ड अ + खण्ड ब	15 + 15 = 30
कुल अंक		100	140

विषयवस्तु

इकाई 1 : भाषा की परिभाषा एवं प्रकृति—(1) भाषा की परिभाषा एवं महत्त्व। (2) भाषा एवं समाज का सम्बन्ध। (3) राज्य की भाषा नीति और शिक्षा। (4) भाषा— बोली (स्थानीय भाषा)। (5) बहुभाषिकता की समझ—बहुभाषिकता को प्रदेश की भाषा सम्पन्न कक्षाओं में एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना।

इकाई 2 : भाषा का अर्जन एवं भाषायी कौशलों का विकास—(1) बच्चों का परिवेश एवं शालेय अनुभवों से भाषा सीखना एवं भाषायी कौशल प्राप्त करना। (2) प्रारम्भिक साक्षरता द्वारा सरल, सशक्त एवं प्रभावी अभिव्यक्ति में समर्थ बनना। (3) भाषा की प्रारम्भिक शिक्षा—कक्षा 1 एवं 2 के विशेष सन्दर्भ में। (4) मौखिक भाषा—सुनना एवं बोलना (सुनकर समझना, समझकर बोलना) श्रवण कौशल विकास की विधियाँ, समझकर बोलना—प्रवाह स्पष्टता, गतिशीलता के साथ बोलना, अर्थपूर्ण वाक्यों के साथ भाषा का व्यावहारिक प्रयोग करना। (5) वाचन कौशल—पढ़ना क्या है, सस्वर एवं मौन वाचन, छपी एवं हस्त लिखित सामग्री पढ़ना, समझना। (6) लेखन कौशल—उचित विराम चिह्नों का प्रयोग, सुलेख, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के रूप में विभिन्न विधाओं में सुसम्बद्ध लेखन करना।

इकाई 3 : पाठ्यचर्या में भाषा, कक्षा शिक्षण और सम्भावनाएँ—(1) शिक्षा और पाठ्यचर्या में भाषा (भाषा सीखना और भाषा से सीखना)। (2) भाषा शिक्षण—सामाजिक न्याय, समता-समानता, लिंग भेद, व्यक्तिगत अन्तर एवं समावेशित शिक्षा के सन्दर्भ में। (3) भाषा सीखने के प्रति रुझान-वर्तमान परिदृश्य। (4) भाषा सम्बद्धन में साहित्य की भूमिका, पाठ्यचर्या में बाल साहित्य का महत्त्व, पुस्तक समीक्षा। (5) साहित्य की विभिन्न विधाओं को समझना। (6) गद्य एवं पद्य शिक्षण पद्धतियाँ (कविता, कहानी), संस्मरण, एकांकी, निबन्ध आदि एवं नवीन प्रविधियाँ यथा—गतिविधि आधारित शिक्षण, सक्रिय अधिगम प्रविधि आदि।

इकाई 4 : व्याकरण अध्ययन—(1) मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा विकास में व्याकरण की भूमिका। (2) ध्वनि एवं भाषायी ध्वनियाँ। (3) हिन्दी के स्वर-व्यंजन (वर्णमाला) एवं उनका वर्गीकरण। (4) शब्द एवं पद। (5) अर्थ बोध, अर्थ विस्तार (विस्तार, संकोच, अर्थदिश, उत्कर्ष, अपकर्ष), अर्थ परिवर्तन। (6) वाक्य के गुण, वाक्य के प्रकार (भेद) (रचना एवं अर्थ के आधार पर)। (7) रस, छन्द, अलंकार प्रयोग। (8) व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण (कक्षा 1 से 8 की पाठ्य पुस्तक में निहित)।

इकाई 5 : भाषा में मूल्यांकन एवं नवाचार—(1) मूल्यांकन की परिभाषा एवं प्रकार। (2) सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन। (3) प्रदेश की नीति अनुसार मूल्यांकन एवं अभिलेखों का संधारण। ब्लूप्रिण्ट एवं प्रश्न-पत्र निर्माण। (4) कठिनाइयों की पहचान एवं विशेष शिक्षण। (5) भाषा प्रयोगशाला का स्वरूप महत्त्व एवं उपयोगिता। (6) दृश्य-श्रव्य माध्यमों का प्रयोग। (7) भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसन्धान।

सत्रगत कार्य—निम्नलिखित खण्ड अ एवं ब में से एक-एक प्रायोजना कार्य कीजिये।

खण्ड अ—(1) गतिविधि आधारित अधिगम (एबीएल)/सक्रिय अधिगम प्रविधि (एएलएम) की एक-एक पाठ योजना गद्य एवं पद्य की पृथक्-पृथक् तैयार कीजिये। (2) भाषायी कौशलों के विकास हेतु एक प्रभावी पाठ योजना सहायक सामग्री

सहित तैयार कीजिये। (3) भाषा प्रयोगशाला के प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर एक भाषायी खेल गतिविधि तैयार कीजिये। (4) भाषागत किसी एक समस्या का चयन कर क्रियात्मक अनुसन्धान की प्रायोजना निर्माण कर सम्पादन कीजिये। (5) भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन के लिये ब्लूप्रिण्ट के अनुसार किसी एक कक्षा का आदर्श प्रश्न-पत्र तैयार कीजिये।

खण्ड ब—(1) विद्यालयीन पुस्तकालय में उपलब्ध बाल साहित्य की विधाओं एवं लेखकों के नाम की सूची तैयार कीजिये। अपनी पसन्द की किसी पुस्तक की समीक्षा कीजिये। (2) आपके विद्यालय में पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग की कार्ययोजना तैयार कीजिये। (3) किसी स्थानीय लोककथा को स्थानीय बोली और हिन्दी भाषा में लिखकर प्रस्तुत कीजिये। (4) अपने आसपास के किसी प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्व के स्थल, मेले, त्यौहार अथवा स्थानीय स्वतन्त्रता सेनानी के जीवनवृत्त मते से किसी एक पर आलेख लिखिये। (5) स्थानीय स्तर पर प्रचलित लोकोक्तियों एवं मुहावरों का संकलन कीजिये।

पाठ्यक्रम अन्तरण की विधियाँ—(1) छात्राध्यापकों को पठन हेतु चयनित सामग्री प्रदान करना एवं उस पर चर्चा करना। (2) छात्राध्यापकों को छोटे समूह में पठन हेतु अवसर देना एवं उसका प्रस्तुतीकरण करवाना, छूटी हुई बातों को समूह चर्चा द्वारा जोड़ना। (3) प्रश्नोत्तर माध्यम से चर्चा एवं सहभागिता द्वारा छात्राध्यापकों को अवसर प्रदान करना एवं विषयवस्तु का सुदृढीकरण करना। (4) छात्राध्यापकों को विषयवस्तु से सम्बन्धित प्रायोजना काय्य देना एवं उसके प्रस्तुतीकरण से विषयवस्तु का विकास करना।

गणित शिक्षण प्रारम्भिक स्तर-1

षष्ठम् प्रश्न-पत्र

विशिष्ट उद्देश्य—(1) गणित विकास क्रम का ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की समझ बनाना। (2) प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले गणित के सन्दर्भ में विषयवस्तु की व्यापक समझ बनाना। (3) NCF-2005 के सन्दर्भ में गणित शिक्षण की समझ बनाना। (4) गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएँ एवं पाठ योजना की समझ बनाना। (5) शिक्षण का वास्तविक अनुभव तथा मूल्यांकन की उपयोगिता को समझने का अवसर देना। (6) भारतीय गणितज्ञों का परिचय प्राप्त कर उनके योगदान के प्रति सम्मान उत्पन्न करना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन

इकाई क्रं.	इकाई का नाम	कालखण्ड	अंक
(1)	विषयवस्तु का शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान-I	30	12
(2)	विषयवस्तु का शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान-II	30	12
(3)	बच्चे का गणितीय अवधारणात्मक विकास	25	15
(4)	गणित शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य एवं मूल्यांकन	25	15
(5)	गणित शिक्षण के आयाम	30	16
	सत्रगत कार्य	—	30
कुल अंक		140	100

विषयवस्तु

इकाई 1 : विषयवस्तु का शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान-I—(1) संख्याएँ, संख्या पद्धति, शून्य का इतिहास एवं समझ, पैटर्न। (2) मूलभूत संक्रियाएँ : जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, संख्या रेखा के उपयोग से संक्रियाएँ। (3) गुणन, गुणज, गुणनखण्ड, अपवर्त्य, अपवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। (4) भिन्न : अवधारणा, इकाई के भाग/हिस्से के रूप में भिन्न की समझ, भिन्न के प्रकार, भिन्नों की तुलना, भिन्नों पर संक्रियाएँ। (5) दशमलव : अवधारणा, भिन्न को दशमलव संख्या एवं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएँ। (6) ऐकिक नियम, लाभ-हानि।

इकाई 2 : विषयवस्तु का शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान-II—(1) मापन—इकाई की समझ, लम्बाई, वजन, धारिता, समय, मुद्रा, क्षेत्र। (2) आकार एवं आकृतियों की समझ, खुली एवं बन्द आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, कागज मोड़कर ज्यामिति

आकृतियाँ बनाना। (3) तल की समझ, समतल, वक्रतल। (4) भारतीय गणितज्ञ एवं उनका योगदान—आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी भारती कृष्णतीर्थ, बराहमिहिर, बोधायन। (5) गणितीय संगणनाओं की वैकल्पिक विधियाँ, परममित्र, बीजांक, एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण, ऊर्द्धतिर्यक विधि।

इकाई 3 : बच्चे का गणितीय अवधारणात्मक विकास—(1) गणित अधिगम के सिद्धान्त—पियाजे, वायगोत्स्की। (2) बच्चे के गणितीय ज्ञान पर उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। (3) गणित का दैनिक जीवन के अनुभवों से सम्बन्ध। (4) गणित की कक्षा में बोलचाल की भाषा की भूमिका।

इकाई 4 : गणित शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य एवं मूल्यांकन—(1) गणित की प्रकृति, गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। (2) NCF-2005 के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण एवं मूल्यांकन। (3) प्रारम्भिक कक्षाओं में गणित शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकरणों में आने वाली प्रमुख समस्याएँ तथा उनका निवारण। (4) बच्चों को गणित सीखने में आने वाली सामान्य कठिनाइयाँ, कारण एवं निराकरण। (5) गणित के सन्दर्भ में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन एवं उपकरण एवं तकनीक।

इकाई 5 : गणित शिक्षण के आयाम—(1) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति धारणा। (2) शिक्षण सिद्धान्त एवं शिक्षण विधियाँ। (3) सबके लिये गणित—सामाजिक न्याय, लिंग भेद, वैयक्तिक भिन्नता, समावेशी वातावरण। (4) गणित अधिगम हेतु उपयोग सामग्री— गणित किट, गणित प्रयोगशाला, गणित सन्दर्भ कक्ष एवं स्थानीय शिक्षण अधिगम सामग्री। (5) गणित शिक्षण के सन्दर्भ में—गतिविधि आधारित शिक्षण, सक्रिय अधिगम प्रविधि। (6) गणित शिक्षण हेतु पाठ योजना।

सत्रगत कार्य—भाग I—(कोई दो) सत्रगत कार्य अन्तर्गत छात्राध्यापक पूरी प्रक्रिया कर सामग्री सहित प्रस्तुत करेंगे।

(1) एबाकरस का निर्माण तथा इसका कक्षा शिक्षण में उपयोग करना। (2) ज्यो (Geo) बोर्ड का निर्माण एवं कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग करना। (3) संख्या रेखा के मॉडल का निर्माण एवं इसके द्वारा शिक्षण। (4) कागज मोड़कर गतिविधियों से गणित शिक्षण करना। (5) भिन्न जाली का निर्माण एवं दशमलव की समझ हेतु इसका कक्षा शिक्षण में उपयोग करना। (6) पथ के क्षेत्रफल हेतु मॉडल तैयार कर कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग करना। (7) पाइथागोरस प्रमेय का मॉडल तैयार कर उसका सत्पान करना। (8) गणित की किसी एक अवधारणा के मूल्यांकन हेतु उपकरण का निर्माण कक्षा में उपयोग करना। (9) बच्चों को आने वाली कठिनाई की पहचान कर कारणों का विश्लेषण एवं निराकरण करना। (10) इण्टर्नशिप की शाला में गणितीय कोने (Maths corner) की स्थापना करना। (11) अपने परिवेश से विभिन्न गणितीय पहेलियाँ/खेल का संग्रह करना एवं स्वयं पहेलियाँ/खेल बनाना। (12) अपने साथी छात्राध्यापक के गणित कक्षा शिक्षण (कम से कम 5) का विश्लेषणात्मक अवलोकन करना। (13) विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले बच्चों के अधिगम के लिये पाठ योजना तैयार करना। (14) दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की मापन इकाइयों का अध्ययन तथा उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना।

पाठ्यक्रम की अन्तरण की विधियाँ—(1) गणित को बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे प्रत्युत्तर देते हैं का छात्राध्यापकों द्वारा अवलोकन कर समूह में चर्चा की जायेगी। (2) विभिन्न प्रकार गणितीय अवधारणा की समझ बनाने के लिये समूह कार्य अधिक करवाये जायेंगे। (3) पाठ्यवस्तु के अध्ययन के साथ विमर्श करते हुए छात्राध्यापक चर्चा के लिये आवश्यक मुद्दे निकालेंगे। (4) गणितीय ज्ञान को सीखने के लिये ऐतिहासिक और परम्परागत विभिन्न पद्धतियों का संग्रह करना। (5) गणित के मॉडल तैयार करना विशेषकर ज्यामितीय सम्बन्धी। (6) गणित की सहायक सामग्री को तैयार करना, उसका परीक्षण करना और उसे प्रस्तुत करना।

Proficiency in English

Paper VII

Specific Objectives—(1) To enable the student-teacher to improve upon their own proficiency in English. (2) To enable the student-teacher to brush-up their knowledge of grammatical, lexical and discourse systems in English and use English in context appropriately. (3) To enable the student-teacher to link their knowledge with pedagogic practices.

Unit wise division of marks

S.No.	Unit	Subject	Period	Marks
(1)	(1)	Nature of Language	10	5
(2)	(2)	Listening and Speaking	10	5
(3)	(3)	Reading	10	5
(4)	(4)	Writing	20	10
(5)	(5)	Grammar	20	10
		Practical	-	15
		Total	70	50

Content

Unit 1 : Nature of Language—(1) What is language : characteristics of language, functions of language, language as a means of communication and thinking. (2) First, second and foreign language. (3) The place of English in multilingual Indian society.

Unit 2 : Listening and Speaking—(1) Listening with comprehension : simple instructions, public announcements, telephonic conversation, radio/TV, discussions. (2) Sound system of language with special focus on English sound system, word and sentence stress. (3) Enhancing listening and speaking abilities through discussions, role play, interactive radio instruction programme (IRI).

Unit 3 : Reading—(1) Acquisition of reading skills : reading with comprehension different types of texts, reading for global and local comprehension, importance of reading with speed. (2) Reading strategies : work attack, inference, extrapolation, analysis. (3) Skills of reading, skimming, scanning, extensive and intensive reading, reading aloud, silent reading. (4) Development of vocabulary—meaning in context, formation of word-affixes, adjective to nouns, noun to verb, etc. homonyms and homophones—(i) Using reading as a tool of developing reference skills : use of dictionary, reference books, encyclopedia, library, journals, internet.

Unit 4 : Writing—(1) Improving writing skills : paragraph writing, identifying a topic sentence, arranging sentences in logical order, joining sentences with linking words/phrases (cohesion and coherence). (2) Different forms of writing : formal and informal letters, messages, notices, posters, advertisements, note making, report writing, diary entry, resume (bio-data, curriculum vitae). (3) Doing the following to experience the process of writing : brainstorming, drafting, editing, conferencing, modifying, revising, publishing. (4) Mechanics of writing (strokes and curves, capital and small, cursive and print script, punctuation). (5) Controlled and guided writing (visual and verbal inputs) : Free and creating writing.

Unit 5 : Grammar—(1) Parts of speech. (2) Verbs—auxiliary, main verb, finites, non-finites tenses, voices, narration. (3) Adjectives, determiners, preposition, adverbs. (4) Kinds of sentences : subject-verb agreement, clauses and connectors.

Assignment (Practical)—The students will actively perform the following activities in classroom situations, real and simulated and will discuss freely on the strategies and importance of each one of them and submit three assignments compulsorily.

(1) Listening with comprehension to follow simple oral instructions, public announcements, telephonic conversation, classroom discussions, radio, TV news, sports commentary. (2) Reading aloud text with proper pronunciation, intonation and stress, reciting poems, story telling, role play, situational talk, silent reading, reading different text type : comics, stories, riddles, jokes, instructions for games. (3) Phonemic drills. (4) Organizing listening and speaking activities : rhymes, songs, use of stories, poems, role play and dramatization. (5) Use of dictionary. (6) Writing dialogues, speeches, poems, skills, describing events. (7) Using ideas of critical literacy : looking at the socio-cultural dimensions of literacy, encouraging questioning on the dominant ethos in a society.

कम्प्यूटर शिक्षा भाग-1

विशिष्ट उद्देश्य—(1) छात्राध्यापकों में सहशैक्षिक गतिविधि के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा में रुचि का निर्माण करना। (2) छात्राध्यापकों में नवीन प्रयोगों जैसे—Constructive and creative approach की अवधारणा को विकसित करना। (3) सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा शिक्षा में सुधार लाना। (4) छात्राध्यापकों में सूचना के संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण के कौशल का विकास करना। (5) छात्राध्यापकों में वैश्विक स्तर अनुसार तकनीकी के आधार पर व्यावहारिक परिवर्तन लाना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन				
क्रं.	इकाई	इकाई का नाम	कालखण्ड	अंक
(1)	(1)	कम्प्यूटर का परिचय	10	5
(2)	(2)	ऑपरेटिंग सिस्टम	15	10
(3)	(3)	वर्ड प्रोसेसिंग	15	10
		सत्रगत कार्य	—	25
कुल अंक			40	50

विषयवस्तु

इकाई 1 : कम्प्यूटर का परिचय—(1) परिचय। (2) कम्प्यूटर के भाग, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। (3) कम्प्यूटर के भागों को जोड़ना। (4) कम्प्यूटर के विभिन्न भागों की उपयोगिता। (5) स्टोरेज डिवाइस। (6) कम्प्यूटर के कार्य।

इकाई 2 : ऑपरेटिंग सिस्टम—(1) ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। (2) ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार (लाइनेक्स एवं विण्डोज)। (3) डेस्कटॉप के भाग—वॉल पेपर, शार्टकट आइकॉन्स, टास्क बार/पैनल स्टार्ट मेनू। (4) फोल्डर बनाना। (5) मीडिया प्लेयर का उपयोग।

इकाई 3 : वर्ड प्रोसेसिंग—(1) वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय। (2) राईटर/एम.एस. वर्ड में कार्य करना—(i) टूल बार तथा मेनू बार की जानकारी, (ii) फाइल बनाना, सेव करना तथा खोलना, (iii) टेक्स टाइप करना (हिन्दी एवं अंग्रेजी)। (3) फारमेटिंग—(i) बोल्ड, इटालिक, अण्डरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट इत्यादि। (ii) बुलेट्स एवं नम्बरिंग, (iii) कट, कॉपी एवं पेस्ट। (4) पिक्चर एवं टेबल इन्सर्ट करना।

सत्रगत कार्य—सभी सत्रगत कार्य आवश्यक हैं। दिये गये कार्यों में से कोई भी पाँच कार्य सत्रगत कार्य के रूप में जमा कराये जायेंगे।

(1) प्रार्थना पत्र लिखना (हिन्दी एवं अंग्रेजी)। (2) विद्यालय समय-सारणी का निर्माण। (3) स्वयं की प्रोफाइल (बायोडाटा) का निर्माण। (4) कम्प्यूटर में फाइलों का रखरखाव। (5) रिमूवेबल डिवाइसेस (पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड) की कार्य प्रणाली एवं उपयोगिता। (6) माइन्ट मेप करना। (7) पहचान पत्र का निर्माण करना। (8) अनुक्रमणिका का निर्माण करना। (9) कलात्मक मुख्यपृष्ठ का निर्माण। (10) कक्षा के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं की प्रोफाइल तैयार करना।

स्वास्थ्य, स्वच्छता, भावनात्मक विकास एवं शारीरिक शिक्षा

विशिष्ट उद्देश्य—(1) बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। (2) उन्हें व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं अच्छी आदतें अपनाने के लिये प्रेरित करना। (3) पेयजल के रखरखाव एवं सन्तुलित आहार की जानकारी देना। (4) समाज के उपेक्षित वर्ग की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना। (5) योग, व्यायाम, खेल के प्रति सक्रियता प्रदान करना। (6) बुजुर्गों, निशक्तजनों, बीमारों की सेवा के प्रति जागरूक करना।

इकाईवार अंक विभाजन

क्रं.	इकाई	इकाई का नाम	अंक विभाजन		
			काल खण्ड	आन्तरिक अंक (डाइट में प्रशिक्षण के दौरान अभ्यास एवं 3 सत्रगत कार्य)	बाह्य अंक बाह्य परिवेक्षक द्वारा
(1)	(1)	शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	20	5	लिखित=10
(2)	(2)	परिवेशीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा	10	5	प्रायोगिक=5
(3)	(3)	उपभोक्त एवं सामुदायिक स्वास्थ्य	10	5	
कुल अंक			40	15	15

विषयवस्तु

इकाई 1 : शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता—(1) उत्तम स्वास्थ्य से अर्थ, महत्त्व, बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताएँ चिह्नित कर उनके आधार पर शिक्षण। (2) शरीर के विभिन्न अंगों जैसे—आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ, नाखून एवं बालों की सफाई आदि। (3) कपड़ों की सफाई एवं नित्य स्नान का महत्त्व। (4) अच्छी आदतों का विकास जैसे— जल्दी जागना, जल्दी सोना, समय पर भोजन करना तथा समय पर अध्ययन करना आदि। (5) भोजन के पोषक तत्वों तथा सन्तुलित आहार की विशेषताएँ, स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन। (6) प्रचलित स्थानीय खेल, सही तरीके से बैठने, खड़े होने, पढ़ने तथा लेटने की स्थितियाँ। (7) योगासन, प्राणायाम एवं व्यायाम की क्रियाएँ।

इकाई 2 : परिवेशीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता—(1) परिवेशीय स्वास्थ्य का अर्थ एवं स्वस्थ परिवेश की विशेषताएँ। (2)

विभिन्न ऋतुओं में स्वास्थ्य की देखभाल एवं घरेलू उपचार। (3) जल संरक्षण एवं रखरखाव, जल प्रदूषण एवं उससे होने वाली बीमारियाँ। (4) सार्वजनिक स्वच्छता, खुले में शौच के दुष्प्रभाव। उचित शौच प्रबन्धन। (5) घर या वाटिका में उगाये जाने वाले औषधीय पेड़-पौधों का रखरखाव एवं उनके प्रयोग से किये जाने वाले उपचार। (6) भोजन का सन्दूषण, उससे होने वाली बीमारियाँ और उनका निवारण।

इकाई 3 : उपभोक्ता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य—(1) उपभोक्ता स्वास्थ्य का अर्थ एवं शिकायत निवारण के लिये जिम्मेदार संस्थाएँ। (2) सामुदायिक सेवा संस्थाओं में महिला बाल विकास, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, नगर पालिका आदि का परिचय। (3) वृद्धों, बीमारों तथा निःशक्तजनों की देखभाल एवं उनकी सुरक्षा के उपाय। (4) बाजार में बिकने वाली खुली एवं डिब्बा बन्द खाद्य सामग्री के दुष्प्रभावों की जानकारी। (5) प्राथमिक चिकित्सा जैसे जलने, चोट लगने, डूबने इत्यादि पर उपचार। (6) रेडक्रॉस, स्काउट-गाइड जैसी संस्थाओं की कार्य शैली का परिचय।

सत्रगत कार्य—छात्राध्यापकों द्वारा सत्रगत कार्य का सम्पादन स्कूल इण्टर्नशिप के दौरान बच्चों की समस्याओं एवं परिवेशीय समाधान पर अध्ययन करके पूर्ण किया जायेगा।

पाठ्यक्रम की अन्तरण की विधियाँ—आवश्यकतानुसार छात्राध्यापक खेल, योग, पीटी जैसे गतिविधियाँ मैदान में संचालित करेंगे।

(1) चार्ट, कैलेण्डर, मॉडल आदि के माध्यम से विषयांशों का शिक्षण आवश्यकतानुसार दिया जायेगा। (2) हाथों की धुलाई का प्रदर्शन छात्राध्यापक द्वारा किया जायेगा। (3) प्राथमिक चिकित्सा पेटिका का ज्ञान छात्राध्यापक को दिया जाना तथा उनसे तैयार कराये जाने/का अभ्यास कराया जाना है। (4) स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई सेवाओं, वृद्धाश्रम, निःशक्तजन को संरक्षित करने वाली संस्थाओं का अवलोकन करना एवं सम्बन्धित स्थानों पर जाकर उनकी कार्यपद्धति को जानना और छात्राध्यापकों को इन सबके द्वारा संवेदनशील बनाने के प्रयास करना। (5) पाठ्यक्रम के उपरोक्त विषयों पर छात्राध्यापकों के साथ शिक्षकों के निरन्तर संवाद के लिये विषय की माँग के अनुसार वाद-विवाद, परिचर्चा, ड्रॉइंग, पेण्टिंग, फिल्म, डाक्यूमेण्टरी, आसपास का भ्रमण, गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट कार्य, सर्वेक्षण, प्रयोग, प्रदर्शन करना, चर्चा, प्रश्नोत्तरी सामूहिक एवं वैयक्तिक रूप से आयोजित कराया जाना। (6) योग, खेल, पीटी (व्यायाम) का निरन्तर अभ्यास डाइट प्रशिक्षण में सुबह के सत्र में कराया जाय, जिससे छात्राध्यापक इनके लिये अभ्यस्त हो सकें।

कला और शिक्षा भाग-1

विशिष्ट उद्देश्य—(1) कलात्मक संवेदना को बनाये रखना। (2) सौन्दर्यबोध जागृत करना। (3) कला एवं कलाकार की सराहना करने की क्षमता का विकास करना। (4) स्थानीय लोक कलाओं को जानना और कलाकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाना। (5) छात्राध्यापकों को कला के बुनियादी सिद्धान्तों से परिचित कराना। (6) छात्राध्यापकों की कलात्मक रुचियों को उभारते हुए उनकी सृजनशीलता को निखारना। (7) अन्य विषयों से कला के सहसम्बन्ध को स्पष्ट करना। (8) भारतीय कलाओं के इतिहास एवं कलात्मक धरोहरों से परिचय करवाना। (9) कलाओं के माध्यम से छात्राध्यापकों को खुद को समझने के अवसर उपलब्ध कराना एवं विद्यालय में बच्चों को समझने के लिये कलाओं का उपयोग करने के लिये प्रेरित करना। (10) भारतीय कलाकारों के कला में योगदान को रेखांकित करना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन				
क्रं.	इकाई	इकाई का नाम	कालखण्ड	अंक
(1)	(1)	कला से आशय	10	5
(2)	(2)	कला शिक्षण-उद्देश्य और विधियाँ	10	5
(3)	(3)	भारतीय कला के इतिहास का परिचय	20	10
		सत्रगत कार्य	—	20
कुल अंक			40	40

विषयवस्तु

इकाई 1 : कला से आशय—(1) कला क्या है? (2) कला एवं संस्कृति का सम्बन्ध। (3) कला शिक्षा का तात्पर्य। (4) अन्य विषयों से कला का सहसम्बन्ध।

इकाई 2 : कला शिक्षण-उद्देश्य और विधियाँ—(1) कला शिक्षण क्यों और कैसे? (2) चित्रकला—कक्षा शिक्षण के सन्दर्भ में। (3) रंगमंच—कक्षा शिक्षण के सन्दर्भ में। (4) संगीत एवं नृत्य—कक्षा शिक्षण के सन्दर्भ में।

इकाई 3 : भारतीय कला के इतिहास का परिचय—(1) चित्रकला का इतिहास। (2) रंगमंच का इतिहास। (3) संगीत एवं नृत्य का इतिहास।

कक्षागत कार्य—(1) संगोली, मांडना, अल्पना, मेंहदी बनाना। (2) मध्य प्रदेश के लोकगीत एवं लोक नृत्यों का अभ्यास। (3) क्ले माडलिंग, चित्र बनाने का प्रारम्भिक अभ्यास। (4) नाट्य खेल गतिविधियाँ, छोटी-छोटी कहानियों का नाट्य रूपान्तरण करना।

कार्य और शिक्षा

विशिष्ट उद्देश्य—कार्य और शिक्षा के तहत ऐसे मूलभूत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जो शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में प्रभावशाली उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।

(1) शैक्षिक के साथ सहशैक्षिक गतिविधियों के विकास की समझ विकसित करना। (2) प्रारम्भिक शिक्षा के साथ प्रकृति, पेड़-पौधों, बागवानी, पर्यावरण की समझ प्रायोगिक एवं व्यावहारिक रूप से प्रदान करना। (3) हस्तकौशलों के विकास सम्बन्धी कौशलों से परिचित कराना। (4) रोजगारमूलक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कौशलों का विकास करना। (5) परिवेश एवं समूह में कार्य करने की आदतों का विकास करना। (6) निरीक्षण क्षमता का विकास करना। (7) कल्पना शक्ति एवं एकाग्रता का विकास करना।

इकाईवार अंक विभाजन

अंक विभाजन				
क्रं.	इकाई	इकाई का नाम	कालखण्ड	अंक
(1)	(1)	अनिवार्य क्रियाएँ (1) बागवानी (2) सिलाई, कढ़ाई एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण	20	10
(2)	(2)	वैकल्पिक क्रियाएँ	10	5
(3)	(3)	बाह्यमूल्यांकन	—	15
कुल अंक			30	30

विषयवस्तु

इकाई 1 : अनिवार्य क्रियाएँ—(1) बागवानी—(1) भूमि एवं गमलों की तैयारी, साफ-सफाई, समतलीकरण, गड्डे तैयार करना एवं भरना। (2) पौधों एवं बीजों का रोपण। (3) खाद एवं उर्वरक तथा उनके अनुप्रयोग। (4) वृक्षारोपण की योजना बनाना। (5) कटिंग, दाब, कलम एवं गूटी द्वारा पौधे तैयार करना। (6) पौधों की सुरक्षा। (7) पौधों की देखभाल सिंचाई, कटाई, छँटाई आदि। (8) किचन गार्डन।

गतिविधियाँ—सामान्य रूप से बागवानी हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत गतिविधियाँ संचालित की जानी चाहिये। छात्राध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त क्रमानुसार गतिविधियों को स्वयं करने का प्रयास करें।

(1) समतलीकरण, कंकड़-पत्थर बीनना, क्यारी का निर्माण एवं गड्डों को तैयार करना, गमले तैयार करना, उन्हें भरना। (क्यारियों का निर्माण फूलों सब्जियों के आधार पर किया जा सकता है।) (2) बीजों की पहचान करना, बीजों के नमूने एकत्र करना एवं उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर आवश्यक बीज की मात्रा का निर्धारण करना। (3) पौधे तैयार करना—नर्सरी लगाकर, कटिंग, दाब, कलम एवं गूटी द्वारा। (4) बीजों एवं पौधों का रोपण करना (विशेषकर कतार से कतार की दूरी एवं पौधों से पौधों की दूरी एवं सुन्दरता के आधार पर)। (5) उर्वरकों, खादों एवं जैविक खादों की जानकारी प्राप्त करना, पहचान करना एवं नमूने एकत्र करना। (6) कम्पोस्ट खाद या हरी पत्ती की खाद तैयार करने हेतु गड्डे तैयार करना एवं खाद का निर्माण करना। (7) प्रति हैक्टर या क्षेत्रफल के आधार पर आवश्यक खाद एवं उर्वरकों की मात्रा की गणना करना। (8) उर्वरकों को देने के तरीकों के साथ उपकरणों एवं रखरखाव की जानकारी प्राप्त करना। (9) आसपास के वातावरण एवं प्रचलित कीटों तथा रोगों के आधार पर कीटनाशकों एवं रोगनाशकों की जानकारी तैयार करना। (10) कीटनाशकों एवं रोकनाशकों के छिड़काव की विधियाँ एवं यन्त्रों

की जानकारी प्राप्त करना। (11) गबीचे के पौधों एवं वृक्षों की कटाई, छँटाई, सहारा देना, सिंचाई हेतु थाला या लाइन बनाना।

(12) शाला के अनुपयोगी जल का प्रयोग बागवानी हेतु करना।

सम्प्रेषण का माध्यम—(1) छात्राध्यापकों से निम्नानुसार नमूना फाइल बनवायी जाये— (i) विभिन्न प्रकार के बीजों की (फूलों की, सब्जियों की), (ii) उर्वरकों एवं खादों की (उपलब्ध पोषक तत्वों के अनुसार), (iii) बागवानी या कृषि कार्यों में उपयोग में लाये जाने वाले यन्त्रों के चित्रों की, उपयोग के आधार पर। (2) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर उपलब्ध स्थल पर मौसमी पुष्पों का बगीचा तैयार करवाना। इस हेतु पाँच गुणा पाँच फीट की क्यारियाँ तैयार की जा सकती हैं। छात्राध्यापकों की संख्या अधिक होने पर विभिन्न पुष्पों के गमले भी तैयार किये जा सकते हैं।

भ्रमण (एक्सपोजर विजिट)—अपने क्षेत्र में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र, शासकीय नर्सरी अथवा प्रसिद्ध राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय गार्डन का भ्रमण कराया जा सकता है तथा इस भ्रमण कार्य से क्या सीखा-समझा सम्बन्धी रिपोर्ट भी तैयार की जानी चाहिये जिसे सभी से साझा किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट—इसके तहत छात्राध्यापकों को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिये निम्नांकित सूची से प्रोजेक्ट कार्यों को चुना जा सकता है—

(i) अपने प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति अनुसार एक वार्षिक पौधारोपण योजना तैयार करना ताकि प्रांगण की सुन्दरता दिखायी दे सके। (ii) अपने आसपास के क्षेत्र में स्थिति पौधों, वृक्षों, पक्षियों आदि की जानकारी एकत्र करना। (iii) अपने प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष भर के लिये माहवार बागवानी क्रियाओं का कैलेण्डर तैयार करना। (iv) जिले/विकास खण्ड/संकुल स्तर पर आने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बागवानी सम्बन्धी कार्यों की एक सामान्य सूची तैयार करना।

(2) **सिलाई, कढ़ाई एवं सजावटी वस्तु निर्माण**—(1) सिलाई—काज, बटन टाँकना, तुरपाई, बखिये, हुक लगाना, आई बनाना, काज करना, कच्चा करना। (2) कढ़ाई—उल्टी बखिया, चेन स्टिच, साटन स्टिच, कांथावर्क, एप्लीक वर्क। (3) धागे एवं सुलती का उपयोग करते हुए सामग्री निर्माण। (4) जूट से सजावटी वस्तुओं का निर्माण।

गतिविधियाँ—प्रशिक्षण के दौरान छात्राध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कौशलों के विकास के लिये विद्यालय में सकारात्मक वातावरण तैयार करें तथा नैसर्गिक सौन्दर्य एवं रचनात्मक गतिविधियों के महत्त्व का जानें। कल्पना शक्ति एवं एकाग्रता का विकास करें।

(1) बटन टाँकना, काज करना, हुक लगाना, आई लगाना, तुरपाई करना। (2) कढ़ाई करना, विभिन्न प्रकार के टाँके बनाना। (3) सुतली से विभिन्न प्रकार की चोटियाँ गूँथना। (4) गूँथी गयी चोटियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पेन स्टेण्ड, वॉलपीस, मेट्स आदि का निर्माण करना। (5) जूट के रेशे से चोटी गूँथना एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण करना।

प्रोजेक्ट कार्य—(कोई एक किया जाना है)—(1) सिलाई—बटन टाँकना, काज बनाना, हुक लगाना, आई बनाना, तुरपाई करना, कच्चा करना, विभिन्न कपड़े या रूमालों पर बनाकर प्रदर्शित करना। (2) कढ़ाई के विभिन्न टाँकों से आकर्षक रूमाल बनाना। (3) सुतली का उपयोग करके कोई दो कलात्मक वस्तु बनाना। (4) जूट की गुड़िया निर्माण कर उनका उपयोग विभिन्न प्रकार से करना।

इकाई 2 : वैकल्पिक क्रियाएँ—वैकल्पिक क्रियाओं की सूची में से किन्हीं पाँच क्रियाओं का चयन छात्राध्यापक द्वारा किया जायेगा—(1) संस्था, भवन, घर, शाला परिसर की स्वच्छता एवं सजावट, फर्नीचर का रखरखाव एवं स्वच्छता। (2) व्यक्तिगत तथा घरेलू हिसाब-किताब एवं बजट बनाना। (3) बाँधनी एवं बटिक। (4) काष्ठ कला। (5) पशु पालन। (6) बायोगैस प्लांट की जानकारी एवं रखरखाव। (7) घरेलू उपकरणों की जानकारी, रखरखाव एवं मरम्मत। (8) खिलौना निर्माण। (9) बैंक में खाता खोलना एवं ए.टी.एम. के बारे में जानना। (10) डिजाइनर मोमबत्तियों का निर्माण। (11) खाद्य संरक्षण। (12) मध्याह्न भोजन एवं उसका प्रबन्धन। (13) प्रदर्शनी, पिकनिक, यात्रा, भ्रमण आदि का आयोजन। (14) विद्यालय में पुस्तकालय का संचालन एवं प्रबन्धन। (15) अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी वस्तु निर्माण। (16) संस्था का वार्षिक दिवस, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आयोजन।

वैकल्पिक क्रियाओं का पाठ्यक्रम

1. संस्था, भवन, घर, शाला परिसर की स्वच्छता एवं सजावट, फर्नीचर का रखरखाव एवं स्वच्छता—(1) स्वच्छता के लिये कार्य योजना बनाना। (2) स्वच्छता के लिये आवश्यक सामग्री जुटाना। (3) जीवन में स्वच्छता एवं सफाई का महत्त्व समझना। (4) घर की स्वच्छता, घर के आसपास की नालियों की स्वच्छता। (5) सतत स्वच्छता के लिये कार्यक्रम बनाना एवं उसका पालन करना। **सजावट**—(1) सौन्दर्यानुभूति की समझ विकसित करना। (2) नैसर्गिक सौन्दर्य के महत्त्व को समझना।

(3) सजावट की योजना बनाना। (4) संस्था एवं घर की सजावट के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का संग्रह, निर्माण, आकृतियों एवं चित्रों आदि से सजावट करना। **फर्नीचर का रखरखाव**—(1) फर्नीचर का रखरखाव तथा सही ढंग से उपयोग करना। (2) फर्नीचर का समय-समय पर पॉलिश करवाना। (3) फर्नीचर को दीमक, सीलन आदि से बचाकर रखना।

2. व्यक्तिगत तथा घरेलू हिसाब-किताब एवं बजट बनाना—(1) व्यक्तिगत तथा घरेलू बजट बनाने की उपयोगिता। (2) उपयोग में आने वाली सामग्री की सूची तैयार करना। (3) प्रत्येक सामग्री के मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। (4) आय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवार का बजट बनाना। (5) आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना एवं महत्त्व समझाना। (6) वर्तमान आय-व्यय के लेखों की पिछले से तुलना करना।

3. बाँधनी एवं बटिक—(1) बाँधनी एवं बटिक का अर्थ, इतिहास। (2) रंग, डिजाइन का ज्ञान कराना। (3) बाँधनी एवं बटिक बनाने में उपयोग करने वाली सामग्री का ज्ञान।

4. काष्ठ कला—(1) लकड़ी की किस्म एवं उसकी उपयोगिता जानना। (2) लकड़ी को सुरक्षित रखने की विधियाँ तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ी के गुण जानना। (3) कार्य करते समय सावधानियाँ एवं उपचार। (4) औजारों का वर्गीकरण करना। (5) औजारों का रखरखाव तथा सही ढंग से उपयोग करना। (6) वार्निश बनाने की विधि तथा पॉलिश करना, स्प्रे पॉलिश बनाना तथा वार्निश पॉलिश एवं स्प्रे पॉलिश के गुण, अवगुण एवं अन्तर्कों को समझना।

5. पशुपालन—(1) पशुपालन के महत्त्व को समझाना। (2) पशुपालन के लाभ बताना। (3) पशु के बीमार होने पर तुरन्त उपचार करवाना। (4) पशुओं के रखरखाव पर ध्यान देना।

6. बायोगैस प्लाण्ट की जानकारी एवं रखरखाव—(1) बायोगैस का महत्त्व एवं उपयोग बताना। (2) बायोगैस प्लाण्ट के निर्माण की जानकारी देना। (3) बायोगैस प्लाण्ट के बारे में सावधानी रखना। (4) बायोगैस प्लाण्ट का रखरखाव बताना।

7. घरेलू उपकरणों की जानकारी, रखरखाव एवं मरम्मत—(1) घर में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरणों की जानकारी। (2) उपकरणों का उपयोग एवं महत्त्व। (3) उपकरणों की साफ-सफाई एवं रखरखाव की जानकारी। (4) उपकरणों को उपयोग करने का तरीका।

8. मिट्टी या लकड़ी या फर के खिलौने बनाना—(1) खिलौने बनाने के साधनों की जानकारी। (2) खिलौनों की उपयोगिता एवं महत्त्व। (3) खिलौनों का रखरखाव। (4) खिलौने आकर्षक बनाना। (5) खिलौने बनाने वाली सामग्री की जानकारी।

9. बैंक में खाता खोलना एवं ए.टी.एम. की जानकारी—(1) बैंक में खाता खोलने का महत्त्व। (2) बैंक में खाता खोलने की जानकारी देना। (3) बैंक में खातों के प्रकार बताना। (4) ए.टी.एम. मशीन की जानकारी देना।

10. डिजाइनर मोमबत्तियों का निर्माण—(1) मोमबत्तियों के निर्माण कार्य में उपयोग में आने वाले उपकरणों के बारे में जानना। (2) मोमबत्तियों के निर्माण में उपयोग आने वाली सामग्री की जानकारी। (3) मोमबत्तियों में डालने वाले रंगों के बारे में जानना। (4) मोमबत्तियों की डिजाइनों के बारे में जानना।

11. खाद्य संरक्षण—(1) मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से खाद्य पदार्थों के संरक्षण का ज्ञान। (2) खाद्य संरक्षण के लिये उपयोगी उपकरण एवं सामग्री। (3) खाद्य संरक्षण के लिये उपयुक्त स्थान। (4) स्थानीय एवं घरेलू आवश्यकता के आधार पर खाद्य संरक्षण करना। (5) खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिये संरक्षण के दौरान रासायनिक एवं प्राकृतिक उपाय अपनाना।

12. मध्याह्न भोजन एवं उसका प्रबन्धन—(1) मध्याह्न भोजन योजना की जानकारी। (2) विद्यालय के समय-सारणी में मध्याह्न भोजन, जलपान का उचित प्रावधान करना। (3) कार्यक्रम के लिये वित्तीय प्रबन्ध एवं व्यवस्था हेतु कार्य समिति एवं कार्यदल का निर्माण करना। (4) विद्यार्थियों द्वारा भोजन के दौरान हाथ धोने, ठीक ढंग से बैठने, जूठन न छोड़ने, बर्तनों को निश्चित स्थान पर रखने के आदि के बारे में जानना।

13. प्रदर्शनी, पिकनिक, यात्रा भ्रमण आदि का आयोजन—(1) समूह में कार्य विभाजन कर विभिन्न क्रियाकलापों को सुचारु रूप से करने एवं सम्पूर्ण आयोजन की योजना का निर्माण करना। (2) प्रदर्शनी के लिये वस्तुओं का संग्रह करना, उनको सुरक्षित रखना। (3) प्रदर्शनी भवन की सफाई एवं साज-सज्जा का प्रबन्ध करना। (4) शैक्षिक भ्रमण हेतु शैक्षणिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, व्यापारिक स्थलों को देखने के उद्देश्यों को निश्चित करना एवं स्थान का चयन करना। (5) भ्रमण हेतु बजट निर्माण एवं धनराशि का प्रबन्धन, भ्रमण हेतु समय सारणी एवं आवश्यक सामग्री की चेकलिस्ट बनाना।

14. विद्यालय में पुस्तकालय का संचालन एवं प्रबन्धन—(1) विद्यालय में पुस्तकालय का महत्त्व एवं उद्देश्यों को जानना। (2) पुस्तकालय के लिये आवश्यक पुस्तकों का निर्धारण। (3) पुस्तकों को क्रय करने की व्यवस्था। (4) विद्यार्थी, अध्यापक,

ग्रामीण की आवश्यकता आधारित पुस्तकें क्रय करना। (5) पुस्तकों के संग्रह हेतु पंजी का निर्धारण करना। (6) पुस्तकालय हेतु समिति का निर्माण करना।

15. अनुपयोगी सामग्री से उपयोग वस्तु निर्माण—(1) अनुपयोगी सामग्री का उपयोग करने के तरीकों की जानकारी। (2) अनुपयोगी सामग्री को एकत्र कर उसका उपयोग करना। (3) इन वस्तुओं के रखरखाव की व्यवस्था करना। (4) अनुपयोगी सामग्री निर्माण के दौरान उपयोग आने वाले उपकरणों की जानकारी प्राप्त करना। (5) अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाने में सावधानियों की जानकारी।

16. संस्था का वार्षिक दिवस, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आयोजन—(1) वार्षिक दिवस एवं राष्ट्रीय त्यौहारों का महत्त्व बताना। (2) वार्षिक दिवस एवं राष्ट्रीय त्यौहारों की कार्य योजना बनाना। (3) वार्षिक दिवस एवं राष्ट्रीय त्यौहारों के आयोजन में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करना। (4) वार्षिक दिवस एवं राष्ट्रीय त्यौहारों के संचालन हेतु समिति का गठन करना। (5) विद्यार्थियों को अपने दायित्वों को निभाने हेतु प्रेरित करना।

शाला इण्टर्नशिप

प्रस्तावना—शाला इण्टर्नशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राध्यापकों को अभ्यास के लिये अर्थपूर्ण शिक्षण अनुभव के अवसर उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम विद्यालय की समस्त शैक्षिक गतिविधियों को सीखने के अवसर छात्राध्यापकों को प्रदान करता है। छात्राध्यापक शालेय गतिविधियों में एक नियमित शिक्षण की भाँति सक्रिय भागीदारी करते हुए अपनी सृजनशीलता को बढ़ाता है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम में छात्राध्यापकों की शाला में भागीदारी के अवसर और सृजनात्मक नवाचारों की स्वतन्त्रता मिले, साथ ही बच्चों को भी नवाचारी शिक्षण पद्धतियों का लाभ प्राप्त हो सके। भावी शिक्षक तैयार करने में शाला इण्टर्नशिप कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका तो है ही लेकिन यह कार्य चुनौतीपूर्ण भी है। एन.सी.एफ. 2005 में शिक्षक को एक सशक्त और पेशेवर शिक्षक के रूप में परिकल्पित किया गया है। शिक्षक की व्यावसायिक तैयारी के लिये एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 ने भी कई सुझाव दिये हैं जिसे शाला इण्टर्नशिप कार्यक्रम की सहायता से छात्राध्यापकों को शिक्षा के सिद्धान्तों के साथ-साथ शाला में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को समझने के अवसर दिये जायें।

यह कार्यक्रम पूर्णतः क्षेत्र आधारित है। इसलिये छात्राध्यापकों को सीधे समस्याओं से जूझते हुए सीखने का अनुभव मिलेगा। छात्राध्यापक को कक्षा में पढ़े गये सैद्धान्तिक पक्षों को विद्यालय में परखने के अवसर मिलेंगे साथ ही साथ बच्चों एवं कक्षागत प्रक्रियाओं को समझने में वे सैद्धान्तिक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करने में समर्थ हो सकेंगे।

शाला इण्टर्नशिप कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राध्यापक से अनेक अपेक्षाएँ हैं जिन्हें उसे दोनों वर्षों में प्राप्त करना होगा। प्रथम वर्ष में विशेष ध्यान इस बात पर दिया जायेगा कि छात्राध्यापक का परिचय विद्यालय से, विद्यालय के वातावरण से, बच्चों को समझने तथा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से हो। द्वितीय वर्ष में यह अपेक्षित है कि छात्राध्यापक विद्यालय में एक नियमित शिक्षक की भाँति कार्य करे किन्तु इसमें उनकी सहायता शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाएँ अपने अकादमिक पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन और फीड बैक के साथ करेंगी।

विशिष्ट उद्देश्य—(1) सीखने-सिखाने की प्रक्रिया तथा छात्रों की गतिविधियों का शाला में अवलोकन करना। (2) बच्चों से जुड़कर उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकर बच्चों से प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाना। (3) पाठ्य-पुस्तकों एवं स्रोत सन्दर्भ सामग्रियों का बाल विकास एवं शिक्षण पद्धतियों के सन्दर्भ में विश्लेषण कर मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। (4) बाल साहित्य, पाठ्य-पुस्तकें, गतिविधियाँ, भ्रमण तथा खेल जैसे उपलब्ध स्रोत सामग्री के साथ अधिगम दृष्टि विकसित करना। (5) नवाचारी केन्द्रों में सीखे गये सैद्धान्तिक ज्ञान का नियमित अभ्यास में परिलक्षित होना। (6) विद्यालय के प्रभावी प्रबन्धन एवं संचालन के सन्दर्भ में समुदाय की भूमिका को समझना। (7) विभिन्न विषयों को पढ़ाने की योजना बनाकर उसका कक्षा में क्रियान्वयन करना। (8) शिक्षण प्रक्रिया में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों को समझना एवं नये तरीके खोजना। (9) विद्यालय के वातावरण को समझना एवं विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार नवाचार हेतु अभिप्रेरित होना, चुनौतियों को स्वीकारना।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 70 दिवस के शिक्षण में इण्टर्नशिप कार्यक्रम को 3 चरणों में विभक्त किया गया है।

शाला में इण्टर्नशिप कार्यक्रम-70 दिवस

चरण	कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	दिवस
प्रथम	इण्टर्नशिप की पूर्व गतिविधियाँ (तैयारी)	30

द्वितीय	इण्टर्नशिप दौरान गतिविधियाँ (शाला का वास्तविक अनुभव)	40
तृतीय	इण्टर्नशिप के पश्चात की गतिविधियाँ (समालोचनात्मक चिन्तन)	—

प्रथम चरण (संस्थान स्तर पर)
इण्टर्नशिप की पूर्व गतिविधियाँ (तैयारी)

क्रमांक	गतिविधि का नाम	दिवस
(1)	सम्पूर्ण इण्टर्नशिप कार्यक्रम पर उन्मुखीकरण एवं अभ्यास हेतु विद्यालयों का चयन-संस्थान द्वारा	01
(2)	संस्थान के द्वारा माइक्रोटीचिंग के कौशलों पर उन्मुखीकरण	10
(3)	पाठ्य-पुस्तकों (हिन्दी/गणित/पर्यावरण अध्ययन) पर स्रोत सामग्री के समालोचनात्मक विश्लेषण पर कार्यशाला	02
(4)	स्रोत सामग्री की उपलब्धता तथा विकास एवं शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर कार्यशाला	02
(5)	कक्षागत प्रक्रियाओं पर आधारित क्रियात्मक शोध पर कार्यशाला	02
(6)	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर उन्मुखीकरण	02
(7)	इकाई योजना एवं पाठ योजना निर्माण (हिन्दी एवं गणित) पर कार्यशाला (निर्माणवाद पर आधारित पाठ प्रदर्शित सहित)	05
(8)	चयनित विद्यालय के संस्था प्रमुखों का उन्मुखीकरण (इण्टर्नशिप गतिविधियों से परिचय, मूल्यांकन प्रपत्र, संस्था प्रमुख की भूमिका पर चर्चा)	01
(9)	छात्राध्यापक, मेन्टर (आबंटित कक्षा का शिक्षक/विषय शिक्षक एवं संस्थान सुपरवाइजर (विषय विशेषज्ञ) का उन्मुखीकरण (प्रत्येक की भूमिका पर चर्चा)। को-टीचिंग अवधारणा (नवा-चारी पद्धति), मूल्यांकन अवधारणा (रूब्रिक पर आधारित) पर प्रस्तुतीकरण।	04
(10)	दैनन्दिनी एवं रिफ्लेक्टिव जर्नल पर चर्चा	01
	योग	30

‘इण्टर्नशिप की पूर्व गतिविधियाँ’ कार्यक्रम पर छात्राध्यापकों के द्वारा दैनन्दिनी एवं रिफ्लेक्टिव जर्नल पर लेखन कार्य करवाया जा सकता है जिस पर चर्चा कर छात्राध्यापकों को फीडबैक दिया जा सकता है इसकी उपयोगी इण्टर्नशिप के दौरान परिलक्षित होनी चाहिये।

द्वितीय चरण (शाला स्तर पर)
इण्टर्नशिप दौरान गतिविधियाँ (शाला का वास्तविक अनुभव)

क्रमांक	गतिविधि का नाम	कुल कार्य दिवस 40
(1)	चयनित शाला का सम्पूर्ण अवलोकन, कक्षा अवलोकन एवं सीखने-सिखाने के अनुभव पर प्रतिवेदन	
(2)	विद्यालय अभिलेखों का अवलोकन करना एवं संधारण की प्रक्रिया को सीखना	
(3)	कक्षागत प्रक्रियाओं पर आधारित क्रियात्मक शोध कार्य	
(4)	पाठ्य-पुस्तकों (प्राथमिक स्तर हिन्दी/गणित/पर्यावरण अध्ययन)	

- एवं उपलब्ध स्रोत सामग्री का विश्लेषण करना तथा स्रोत सामग्री का विकास करना
- (5) विद्यालयों की गतिविधियों में भाग लेना (प्रार्थना सभा, खेलकूद, स्काउटिंग, विज्ञान क्लब एवं मेले पर्यावरण क्लब, पुस्तकालय, सांस्कृतिक, सामाजिक, गतिविधियाँ, पी.टी.एम. एवं एस.एम.सी. में सहभागिता)
- (6) नवाचारी अधिगम केन्द्रों का भ्रमण कर रिपोर्ट लिखना
- (7) इकाई योजना निर्माण करना
- (8) पाठ योजनाओं का निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण (हिन्दी की 20-20 पाठ योजनाएँ शिक्षण अधिगम सामग्री सहित तथा 10 कक्षा अवलोकन एवं गणित की 20 पाठ योजनाएँ शिक्षण अधिगम सामग्री सहित तथा 10 कक्षा अवलोकन)
- (9) सी.सी.ई. आधारित छात्रों का मूल्यांकन तथा पोर्टफोलियो का निर्माण करना
- (10) संस्थान पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) द्वारा इण्टर्नशिप कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना (कम से कम हिन्दी की 5 पाठ योजना एवं गणित की 5 पाठ योजना का पर्यवेक्षण)
- (11) दैनन्दिनी एवं रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना।

छात्राध्यापक प्रत्येक सप्ताह 4 दिवस शाला में इण्टर्नशिप के पश्चात् डाइट में अपने शिक्षक प्रशिक्षक से चर्चा कर प्राप्त अनुभव पर फीड बैक प्राप्त करेगा जिसे अगले सप्ताह अपनी पाठ योजना के प्रदर्शन के दौरान रिफ्लेक्ट कर सकेगा। शाला में अनुभव के कुल 40 कार्य दिवस होना अनिवार्य है।

पेरेंट टीचर मीटिंग

स्कूल मेजेमेण्ट कमेटी

छात्राध्यापक एक कार्य दिवस में अधिकतम दो पाठों का अध्यापन अभ्यास एवं एक पाठ का कक्षा अवलोकन कर सकते हैं।

दैनन्दिनी प्रतिदिन जबकि रिफ्लेक्टिव जर्नल के अन्तर्गत साप्ताहिक अधिगत समीक्षा लिखना है।

तृतीय चरण (संस्थान स्तर पर)

क्रमांक	गतिविधि का नाम
(1)	संस्थान में इण्टर्नशिप के अनुभवों पर परिचर्चा (समझ का विकास एवं चुनौतियाँ)
(2)	सहायक सामग्री की प्रदर्शनी एवं मूल्यांकन
(3)	रिफ्लेक्टिव जर्नल एवं पाठ्य-पुस्तक/स्रोत सामग्री के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का छात्राध्यापकों के पीयर ग्रुप में साझा (शेयरिंग करना)

शाला इण्टर्नशिप कार्यक्रम-प्रथम वर्ष

मूल्यांकन योजना

क्र.	गतिविधि का नाम	आन्तरिक मूल्यांकन		बाह्य मूल्यांकन		योग
		शाला प्रमुख द्वारा	संस्थान के विषय विशेषज्ञ के द्वारा	मौखिक (सायबा)	प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अभिलेख आधारित	
(1)	शाला अवलोकन अनुभव पर प्रतिवेदन	05	—	—	—	05
(2)	विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता पर आधारित मूल्यांकन	05	—	—	—	05

20 | मध्य प्रदेश डी. एल. एड. पाठ्यक्रम 2014 : प्रथम वर्ष

(3) क्रियात्मक अनुसन्धान प्रतिवेदन	—	05	—	—	05
(4) पाठ्य-पुस्तक विश्लेषण (हिन्दी/गणित/पर्यावरण)	—	05	—	—	05
(5) इकाई योजना निर्माण	—	05	—	—	05
(6) पोर्टफोलियो का मूल्यांकन	05	—	—	—	05
(7) नवाचारी केन्द्र के भ्रमण पर रिपोर्ट	—	05	—	—	05
(8) दैनन्दिनी एवं रिफ्लेक्टिव जर्नल	—	05	—	—	05
(9) समलोचना पाठ					
(1) हिन्दी-1 पाठ	—	05	—	—	10
(2) गणित-1 पाठ	—	05	—	—	
(10) अध्यापन अभ्यास अवलोकन (संस्थान सुपरवाइज़र द्वारा)					
(1) हिन्दी-05 पाठ	—	05	—	—	10
(2) गणित-05 पाठ	—	05	—	—	
(11) पाठ योजना का निर्माण					
(3) हिन्दी-20 पाठ योजना		20			
10 शिक्षण अधिगम सामग्री					
10 कक्षा अवलोकन सहित	—		—	—	40
(4) गणित-20 पाठ योजना		20			
10 शिक्षण अधिगम सामग्री					
20 कक्षा अवलोकन सहित					
(12) फाइनल पाठ योजना					
(1) हिन्दी-1 पाठ	—	—	10	40	50
(2) गणित-1 पाठ	—	—	10	40	50
योग	15	85	20	80	200